

न्यायालय नायब तहसीलदार पदमपुर तहसील पदमपुर

प्र.सं. - 05/ 2025

राजस्थान सरकार बनाम श्री परमिन्द्रसिंह पुत्र भजनसिंह जाति जटसिख निवासी 7 डीडी
अन्तर्गत राजस्थान कोलोनाईजेशन एक्ट 1954 की धारा 22

-: निर्णय :-

दिनांक 07-04-2025

प्रकरण में संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से हैं कि पटवारी हल्का कासमका द्वारा दिनांक 27-02-2025 को रिपोर्ट की गई कि श्री परमिन्द्रसिंह पुत्र श्री भजनसिंह जाति जटसिख निवासी 7 डीडी ने चक नूरसर बारानी के मु.नं. 109 के कि.नं. 1 ता 25 की 6.325 है. बारानी रकबा राज भूमि पर बिना किसी विधिपूर्ण अधिकार के फसल चना काशत कर अतिक्रमण कर लिया है।

पटवारी हल्का कासमका द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान कोलोनाईजेशन एक्ट 1954 की धारा 22 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को इस कार्यालय द्वारा दिनांक 03-03-2025 को निर्धारित प्रारूप में नोटिस जारी किया गया। नोटिस में विनिर्दिष्ट भूमि का अंकन किया जाकर अप्रार्थी से यह अपेक्षा की गई कि दिनांक 20-03-2025 तक इस भूमि से अपना अधिभोग हटा ले या उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करे। अप्रार्थी श्री परमिन्द्रसिंह नोटिस प्राप्ति के उपरान्त भी उपस्थित नहीं आया। प्रकरणाधीन भूमि पर अतिक्रमण की पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से होती है, जिसे भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा सत्यापित किया हुआ है। अतः प्रकरण में अप्रार्थी श्री परमिन्द्रसिंह के विरुद्ध राजस्थान कोलोनाईजेशन एक्ट 1954 की धारा 22 के तहत एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अप्रार्थी श्री परमिन्द्रसिंह पुत्र श्री भजनसिंह जाति जटसिख निवासी 7 डीडी को अतिक्रमी घोषित किया जाकर अप्रार्थी श्री परमिन्द्रसिंह पर उक्त भूमि के वार्षिक लगान का 50 गुना राशि 500/- रुपये की शास्ति आरोपित की जाती है एवं अप्रार्थी को प्रकरणाधीन राजकीय भूमि से बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया जाता है।

भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का को आदेश जारी हो कि अतिक्रमी को प्रकरणाधीन राजकीय भूमि से भौतिक रूप से बेदखल करें व अतिक्रमण कर काशत की गई फसल को सरेआम नीलाम कर फर्द नीलामी इस कार्यालय में प्रस्तुत करें एवं बाद अनुमोदन नीलामी राशि राजकोष मे जमा करवाई जावे। शास्ति की मांग तहसील राजस्व लेखाकार की पंजिका मे कायम करवाई जावे। पटवारी हल्का शास्ति की मांग ढाल बांछ मे कायम कर अतिक्रमी से वसूल करें।

निर्णय आज दिनांक 07-04-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

अजय
(अजय कुमार)
नायब तहसीलदार
पदमपुर